

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

-:कार्यालय आदेश:-


राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:-एफडी(गुप-2)/76 जयपुर दिनांक 11.06.1984, 18.08.1989 व 02.05.1998 एवं संशोधित आदेश No. F10(4) FD Rules/76 Dated 12 September 2008 एवं संशोधित आदेश No. F6 (6) FD/ Rules/2010 Dated 25-04-12 के प्रावधानुसार राजकीय महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर के बोर्ड की अभिशंषा तथा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, प्रतापगढ की अभिशंषा पर सुश्री गोदावरी मीणा अध्यापिक राप्रावि परपटिया प.स. अरनोद जिला प्रतापगढ को कार्यालय में पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने की दिनांक 31.10.2018 से Rajasthan Civil Service (Revised Pay) Rules, 2012के अन्तर्गत उनके मूल वेतन का 6 प्रतिशत किन्तु 600/- रुपये (अक्षरे रुपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं का मासिक में विकलांग भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री गोदावरी मीणा अध्यापिक राप्रावि परपटिया प.स. अरनोद जिला प्रतापगढ को यह भत्ता अवकाश (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश दशहरा, दीपावली अवकाश, कार्यभार संभालने हेतु मिलने वाले समय तथा निलम्बन अवधि के लिए देय नहीं होगा।

आज्ञा से
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शि.सं./एफ-4/वि.भत्ता/उदयपुर मण्डल/1054/18/ दिनांक- 15/11/18
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा प्रतापगढ को रजिस्टर्ड डाक से संलग्न मूल विकलांग प्रमाण पत्र सहित।
2. बीईईओ, अरनोद (प्रतापगढ)
3. सुश्री गोदावरी मीणा अध्यापिक राप्रावि परपटिया प.स. अरनोद जिला प्रतापगढ
4. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर